न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 48/2017 (223 आरटीए) हमीरराम वगै. बनाम बाबूलाल वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00112)

1 हमीरराम पुत्र श्री मानाराम,

2 सत्यनारायण पुत्र श्री मानाराम

दोनों जातियान बिश्नोई, निवासीगण मतवालों की ढाणी बाला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

.... अपीलांट्स

बनाम

1 बाबूलाल पुत्र श्री मानाराम जाति बिश्नोई, निवासी मतवालों की ढाणी बाला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

2 रामाराम पुत्र श्री मानाराम,

3 चुतराराम पुत्र श्री मानाराम

दोनों जातियान बिश्नोई, निवासीगण मतवालों की ढाणी बाला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

4 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बिलाड़ा।

5 एस.बी.आई. शाखा बिलाड़ा जिला जोधपुर।

.... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा दिनांक 19.05.2017 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 57/2016

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई।

2 रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।

3 रेस्पो. सं. 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

4 रेस्पो. सं. 3 व 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 13.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के राजस्व वाद सं. 57/2016 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

13/8 राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के समक्ष धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो सं. 1 की ओर से राजस्व वाद सं. 57/2016 पेश किया कि ग्राम मतवालों की ढाणी बाला की सरहद में आई हुई भूमि खसरा नं. 61 रकबा 31 बीघा 17 बिस्वा जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/8–1/8 हिस्सा है। उक्त संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। दोनो ही पक्ष अपने–अपने हिस्से अनुसार काश्त करते हैं। उक्त भूमि का बंटवाड़ा माप व सीमांकन के अनुसार किए जाने का निवेदन किया। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए। अपीलांट्स/प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुए उसके बावजूद एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वाद वादी स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.03.2017 को जारी कर दी। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना किए बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी कर दी। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2017 विधि विरुद्ध पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेज के विपरीत होने से काबिल निरस्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की इस्तदुआ से हटकर अंतिम निर्णय पारित किया है। पक्षकारों को बिना तामील करवाए, बिना उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किए आलोच्य आदेश प्रदान किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 के बिना आलोच्य आदेश पारित किया है। बंटवारा केवल वादी के 1/4 हिस्से बावत ही किए जाने का आदेश पारित किया है। बंटवारा प्रस्ताव भी तहसीलदार द्वारा पेश नहीं किए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट दिनांक 19.05.2016 के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित किए हैं जिसमें विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है सड़क की ओर केवल दो सहखातेदारों की भूमि दी गई है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में

कथन किया कि रेस्पों. सं. 1 बाबूलाल ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश किया जिसके साथ वादग्रस्त भूमि का नजरी नक्शा भी पेश किया गया। प्रतिवादीगण अपीलांट्स को नोटिस जारी किए गए जो डाक विभाग ने नियमानुसार उनके परिवार के वयस्क सदस्यों को तामील करवाए हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ए.डी. संलग्न है जिस पर प्राप्त करने वालों के हस्ताक्षर अंकित हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खरीदशुदा भूमि का विक्रय पत्र पेश किया है जिसके अनुसार भीयाराम ने जो भूमि खरीद की है वह 1/2 किमी दूर है व बंटवारा हो गया है अंकित है। अतः तदनुसार ही अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट से पुष्ठि करवाकर बंटवारा किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अपीलांट की मुख्य आपत्ति यह है कि अपीलांट /प्रतिवादीगण को प्रोपर तामील नहीं हुई व बिना सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये हैं तथा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है।

9 इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। अधीनस्स्थ न्यायालय की पत्रावली में रजिस्टर्ड पावती की रसीदें संलग्न हैं व जिन पर पोस्टल विभाग द्वारा नियमानुसार तामील कराई जाकर प्रतिवादीगण न्यायालय में बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इस कारण दिनांक 21.11.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की है। अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस के समय मौखिक रूप से बताया कि यह तामील नाबालिग को कराई गई हैं परंतु इस कथन की पुष्ठि में कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया अतः केवल मौखिक कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्राथमिक डिक्री कब्जे काश्त के अनुसार जारी की गई है। वादी द्वारा इसके लिए बंटवारे के साथ नजरी नक्शा पेश किया गया था जिसके अनुसार दावा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री पारित हुई व तदनुसार ही बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बंटवारा प्रस्ताव पर दिनांक 19.05.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर में

13/8

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभयपक्षकारान को सूचित कर सुनवाई का अवसर दिया गया। राजस्व लोक अदालत में उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना गया एवं प्रतिवादी रामाराम को भी सुना गया लेकिन कोई आपत्ति नहीं होने से बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी की गई। इस प्रकरण में प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है जिसका आधार कब्जा है व ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किया जाना इस प्रकरण में अनिवार्य प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व लोक अदालत कैंप के लिए विधिवत नोटिस जारी कर प्रतिवादीगण/अपीलांट को पूर्व सूचना भी दी गई है जिसकी तामील अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः इस आपत्ति को राजस्व लोक अदालत में उठाया जा सकता था परंतु वहां पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसलिए इस प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री अनुसार प्राप्त हुए हैं जिन पर पुनः नोटिस जारी कर प्रतिवादीगण को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नहीं हैं।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 यथावत रखे जाते हैं। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
बइजलाज श्री दाताराम,आर.ए.एस
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00112)

अपील संख्या 48/2017

अपीलांट		रेस्पोडेन्ट
1.हमीरराम पुत्र श्री मानाराम 2.सत्यनारायण पुत्र श्री मानाराम दोनों जातियान बिश्नोई निवासीगण मतवालों की ढाणी बाला,तहसील बिलाडा जिला जोधपुर।	बनाम	1.बाबूलाल पुत्र श्री मानाराम जाति बिश्नोई निवासी मतवालों की ढाणी बाला,तहसील बिलाडा जिला जोधपुर। 2.रामाराम पुत्र श्री मानाराम 3.चुतराराम पुत्र श्री मानाराम दोनों जातियान बिश्नोई निवासीगण मतवालों की ढाणी बाला, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर। 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बिलाडा। 5.एस.बी.आई. शाखा बिलाडा जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवम् डिक्री सहायक कलेक्टर, एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा दिनांक 19/05/2017 अन्तर्गत राजस्व वाद सं 57/2016

यह अपील बतारीख 13/8/2018 बहाजरी अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी एवं रेस्पोडेंट 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी व रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 की ओर से बावजूद सूचना अनुपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19/05/2017 यथावत रखे जाते है ।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ......00.......) रूपये ....00..... अदा करे खर्चा मुकदमा मातहत का ....00....... अदा करे

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 13/8/2018 को जारी हो किया गया।

(हस्ताक्षर) 13/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1.स्टाम्प अपील 2.स्टाम्प वकालतनाम 3.इजराय हुक्मनामा 4.वकील फीस बाबत् मीजान		1.स्टाम्प वकालतनामा 2.स्टाम्प अर्जी 3.इजराम हुक्मनामा 4.मेहनताना मीजान	

(हस्ताक्षर) 13/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर